छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 03-06-2003 / 07-06-2003

क्रमांक एफ-14-2/03/(6)/11-5 राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2001 से प्रभावी *" छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण नियम–2001"* निम्नानुसार लागू करता है ।

(1) **परिचय :–**

राज्य के उद्योगों को निर्यात हेतु प्रोत्साहित करने,राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिर्स्पधा का सामना करने व उत्पादों में राष्ट्रीय / अन्तराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता बनाये रखने सक्षम करने के लिये राज्य शासन द्वारा "गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना 1–11–2001 से प्रारंभ की गयी है । गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना को लागू करने वाले ये नियम "छत्तीसगढ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2001" कहे जायेगें । जो सम्पूर्ण राज्य में 01–11–2001 से प्रभावशील माने जावेगें ।

(2) **परिभाषा:–**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, वृहद तथा मध्यम इकाई,लघु उद्योग इकाई आदि की वही परिभाषाएं होगी जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-14-2/03/(6)/11-1 दिनांक 3/7/6-2003 के द्वारा जारी की गयी है ।

(3) **पात्रता:–**

1– राज्य में नवीन, लघु एवं वृहद /मध्यम औधोगिक इकाईयों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण के तहत आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000 एवं समान अन्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने अनुदान की पात्रता होगी ।

2– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ लेने औधोगिक इकाईयों को गुणवत्ता प्रमाणिकरण प्राप्त करने के एक वर्ष की अवधि के अंदर आवेदन करना होगा । निर्धारित अवधि के पश्चात किये गये आवेदनों को अनुदान की पात्रता नही होगी ।

3– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में अथवा अन्यत्र उद्योग विभाग या उनकी किसी ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि में स्थापित होने वाले नवीन लघु एवं मध्यम औधोगिक इकाईयों को ही दिया जावेगा ।

P

4– उन उधोगों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जो यदि उपरोक्त बिन्दू क0 03 के अन्तर्गत नही आते हे परन्तु वे नगर निगम/नगर पालिका सीमा से बाहर स्थापित किया गया हो ।

5– भारत शासन/राज्य शासन द्वारा संचालित उद्योग/निगम/कंपनियो एवं संयुक्त क्षेत्रो के उपक्रमों को इस योजनांतर्गत लाभ लेने की पात्रता नही होगी।

6– आवेदक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, लघु ,कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग की आई0एस0ओ0–9000 या समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु लागू योजना का लाभ प्राप्त किया हो तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत पात्रता नही हागी ।

(4)– <u>योजना का कियान्वयन</u>

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

(5) <u>प्रकियाः–</u>

1– नवीन लघु एवं मध्यम / वृहद औधोगिक इकाईयों को उद्योग आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित सहपत्रों के साथ सबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में आवेदन करना होगा ।

(अ)– प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र या औधोगिक विकास व नियमन अधिनियम 1951 के तहत प्राप्त लायसेंस,(यदि लागू हो)आश्य पत्र, स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र

(ब)– वृहद / मध्यम श्रेणी का उद्योग होने पर भारत शासन उद्योग मंत्रालय से जारी आई0ई0एम0/औधोगिक (विकास व नियमन) अधिनियम 1951 के तहत प्राप्त लायसेंस (यदि लागू हो) आशय पत्र तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(स)– निर्धारित प्रारूप में चार्टड एकाउटेंट का व्यय से सबंधित प्रमाण पत्र

(द)– गुणवत्ता प्रमाणीकरण के तहत गुणवत्ता से सबंधित प्रमाण पत्र आई0एस0ओ0 9000,आई0एस0ओ 14000 या समतुल्य प्रमाण पत्र

(ई)– भातर शासन की गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबधित योजनाओं का लाभ न लेने संबधी शपथ पत्र

2– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में आवेदन प्राप्त होने पर महाप्रबंधक द्वारा परीक्षण कर स्वीकृति/अस्वीकृति सबंधी आदेश जारी किया जायेगा ।

3– विभागीय बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का वितरण किया जायेगा विलंब हेतु राज्य शासन का कोई दायित्व नही होगा ।

(6)– अनुदान की मात्राः–

आई0एस0ओ0–9000,आई0एस0ओ0–14000 एवं समान अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु औद्योगिक इकाई द्वारा किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूप्ये 75,000 का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा । गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है– आवेदन शुल्क /अंकेषण शुल्क, वार्षिक फीस/लायसेंस शुल्क प्रशिक्षण पर हुआ व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी पर हुआ व्यय, (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, पत्राचार व्यय का समावेश व्ययों की गणना में नही किया जावेगा) ।

(7)– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान अनुदान की वसुली :–

यदि यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी वसूली भू –राजस्व की वसूली के अनुसार की जा सकेगी।

(8)– नियमों की व्याख्याः–

अनुदान की पात्रता,नियमों की व्याख्या या अन्य विवादों की स्थिति मे राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा एवं इकाई के लिए बंधनकारी होगा ।

(9) अपील :–

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को 30 दिवस के अंदर अपील की जाकेगी व अपील पर निर्णय अधिकतम 60 दिवस में किया जा सकेगा ।

(10) योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमिताभ जैन) 07/6/13
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

(11)- गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्रः-

1- इकाई का नाम व पता

2- इकाई के स्वामित्व का प्रकार- एकल मालिकीय/ भागीदारी/ प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी/अन्य

3- इकाई का स्थल विवरण- स्थान, ब्लाक, तहसील, जिला

4- स्थायी पंजीयन/आई0एम0ई/ लायसेंस का क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाणीत छाया प्रति संलग्न करें)

5- इकाई की उत्पाद क्षमता एवं उत्पादन दिनांक (उत्पादन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

6- इकाई का स्थायी पूजी निवेश

7- इकाई में कुल रोजगार

8- जिस उत्पाद हेतु आई0एस0ओ0-9000 / आई0एस0ओ0-14,000 या अन्य समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया है । उसका विवरण- उत्पाद, क्षमता, वार्षिक उत्पादन, उत्पादन दिनांक

9- आई0एस0ओ09000 या उसके समतुल्य प्रमाण पत्र का क्रमांक व दिनांक (प्रमाणीत छायाप्रति संलग्न करें)

10- आवेदक द्वारा भारत शासन की गुणवत्ता प्रमाणीकरण से सबंधित योजनाओं का लाभ न लेने सबंधी घोषणा पत्र ।

मै श्री.....(पद).....
(उद्योग का नाम व
पता) घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है एवं मेरे द्वारा किसी भी रूप में
गलत तरीके से प्राप्त राशि को देय ब्याज सहित वापस करने हेतु बाध्य रहूंगा ।

हस्ताक्षर

अधिकृत प्रतिनिधि
नाम.....
पद.....
उद्योग का नाम एवं पता